

### भारत सरकार / Government of India

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / Ministry of Commerce & Industry, विकास आयुक्त का कार्यालय / Office of the Development Commissioner,

सीप्ज़ – विशेष आर्थिक क्षेत्र / SEEPZ-Special Economic Zone, अंधेरी (पूर्व), मुंबई / Andheri (E), Mumbai –400 096 टेलि. / Tel.: 022-28294719/03 फैक्स / Fax: 28291385,

ईमेल- / E-mail: jdcseepz-mah@nic.in, वेबसाइट / Website: www.seepz.gov.in

nic Zone, 0 096 3291385,



एफ.नं. सीप्ज़-एसईज़/सीमा शुल्क/जीजेईपीसी/19/2023-24 F. No. SEEPZ-SEZ/CUSTOMS/GJEPC/19/2023-24 दिनांक: 18.04.2024 Date: 18.04.2024

# सीप्ज-एसईज़ेड की एक इकाई, जीजेईपीसी मेगा सीएफसी की सुविधा के लिए एसओपी SOP FOR FACILITATION TO GJEPC MEGA CFC, A UNIT OF SEEPZ-SEZ

परियोजना के सुचारू कामकाज और प्रभावी सुविधा के उद्देश्यों के साथ, सीप्ज़-सेज़ की एक इकाई, जीजेईपीसी मेगा सीएफसी तक/से सामान की आवक-जावक आवाजाही के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाएं प्रस्तावित हैं:

With the objectives of smooth functioning of the project and effective facilitation, the following procedures for inward-outward movement of goods to/from GJEPC Mega CFC, a unit of SEEPZ-SEZ are proposed:

# A) घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) से जीजेईपीसी मेगा सीएफसी तक सामान की आवाजाही/MOVEMENT OF GOODS FROM DOMESTIC TARIFF AREA (DTA) TO GJEPC MEGA CFC:

i) सभी सामान जो घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) से एलओए संख्या सीप्ज-एसईज़ेड/आईए-आई अनुभाग/जीजेईपीसी/1/2023-24, दिनांक 27.10.2023 के तहत अधिकृत सेवाओं के प्रयोजन के लिए सीप्ज-सेज़ की एक इकाई जीजेईपीसी मेगा सीएफसी में लाए जाएंगे, उन सामान को जीजेईपीसी मेगा सीएफसी में डिलीवरी चालान के आधार पर प्राप्त किया जाएगा, जिसमें उचित आईटीसी एचएस कोड/सीपीसी/एसएसी विवरण, मात्रा और मूल्य सिहत सामान का पूरा विवरण शामिल होगा। ऐसे सभी डिलीवरी चालान की प्रविष्टि को भविष्य में संदर्भ के लिए इकाई द्वारा रिकॉर्ड पर लिया जाएगा और सामान की प्रविष्टि के लिए एनएसडीएल प्रणाली में एक अनुरोध आईडी भी तैयार की जाएगी और अधिकृत सेवाओं के पूरा होने और सामान डिलीवरी चालान पर डीटीए ग्राहक को वापस लौटाने पर, उन अनुरोध आईडी को बंद कर दिया जाएगा। एक सुविधा उपाय के रूप में, इस उद्देश्य के लिए एनएसडीएल मॉड्यूल चालू होने तक मैन्युअल रिकॉर्ड बनाए रखा जाना चाहिए।

All goods which shall be brought in from domestic tariff area (DTA) to GJEPC Mega CFC, a unit of SEEPZ-SEZ, for the purpose of authorized services vide LOA No. SEEPZ-SEZ/IA-I Section/GJEPC/1/2023-24, dated 27.10.2023 shall be received by GJEPC Mega CFC on strength of delivery challans incorporating complete details of goods including appropriate ITC HS code/CPC/ SAC, description, quantity and value. The entry of all such delivery challans shall be taken on records by the unit for future reference and a request ID for entry of goods shall also be generated in NSDL system and shall be closed on completion of the authorized services and returning the goods back to the DTA customers on delivery challan. As a facilitation measure, the manual records should be maintained till the NSDL module for the purpose is operational.

ii) कुछ अधिकृत सेवाएँ हैं जिनके परिणामस्वरूप प्रसंस्करण के दौरान माल का वजन कम हो सकता है। ऐसे सभी मामलों में, प्रसंस्करण के कारण जमा हुआ अवशेष/अवशेष/बर्बादी, यदि कोई हो, संबंधित ग्राहकों को वापस कर दी जाएगी और उसकी रिपोर्ट रिकॉर्ड के लिए विनिर्दिष्ट अधिकारी को

भेज दी जाएगी ताकि एसईजेड नियम 2006 के नियम 37 के साथ पठित नियम 12(5) के संदर्भ में सभी सामान का हिसाब रखा जा सके।

There are some authorized services which may result in loss of weight of the goods during the processing. In all such cases, the residue/remnant/wastage accumulated, if any, due to processing shall be returned back to the concerned customers and the report of the same shall be forwarded to the Specified Officer for records so that all the goods are accounted for in terms of Rule 12(5) read with Rule 37 of the SEZ Rules 2006.

iii) घरेलू टैरिफ क्षेत्र से जीजेईपीसी मेगा सीएफसी, सीप्ज-एसईज़ेड की एक इकाई, तक आने वाले सामान और व्यक्तियों की आवाजाही के लिए गेट नंबर 4 और 5 के माध्यम से विशेष प्रवेश-निकास होगा, जैसा कि नीचे वर्णित है:

पैदल यात्री डीटीए ग्राहकों को गेट नंबर 4 से प्रवेश की अनुमित दी जाएगी और वाहन को केवल गेट नंबर 5 से प्रवेश की अनुमित दी जाएगी। दोनों ही मामलों में व्यक्तियों/वाहनों को सुरक्षा मानदंडों का पालन करते हुए यूनिट, जीजेईपीसी के अंदर जाने की अनुमित दी जाएगी। सामान को केवल गेट नंबर 4 के माध्यम से यूनिट के अंदर जाने की अनुमित दी जानी चाहिए और सामान का विवरण इस उद्देश्य के लिए गेट नंबर 4 पर बनाए गए रिजस्टर में दर्ज किया जाएगा। डीटीए से सामान लाने वाला व्यक्ति सामान को डीटीए संचालन के लिए बने विशेष काउंटर पर जीजेईपीसी को जमा करेगा।

There shall be exclusive entry-exit for movement of the goods and persons coming from domestic tariff area to the GJEPC Mega CFC, a unit of SEEPZ-SEZ through Gate No. 4 and 5 as described below:

Pedestrian DTA customers shall be allowed entry through Gate No. 4 and vehicle shall be allowed only through gate no. 5 In both the cases the persons/vehicles shall be allowed inside the unit GJEPC following the security norms. The goods should be allowed inside the Unit through Gate No. 4 only and the details of the goods shall be entered in the Register maintained at Gate No. 4 for the purpose. The person bringing goods from DTA shall deposit the goods to GJEPC at exclusive counter meant for DTA operations.

iv) व्यक्तियों और वाहनों के प्रवेश पास ई-प्रवेश प्रणाली के माध्यम से मौजूदा स्थापित सुरक्षा प्रिक्रियाओं का पालन करते हुए, सीप्ज़-सेज़ की एक इकाई, जीजेईपीसी मेगा सीएफसी द्वारा जारी किए जाएंगे। प्रदर्शनी/बीएसएम और अन्य सेवाओं के लिए अलग-अलग रजिस्टर होंगे।

The Entry passes of the persons and the vehicles shall be issued by GJEPC Mega CFC, a unit of SEEPZ-SEZ, following the existing established security procedures through e-Pravesh system. There shall be separate registers for exhibition/BSMs and other services.

v) चूंकि अधिकृत सेवाओं को जीएसटी शासन के तहत कर योग्य सेवाओं के रूप में परिभाषित किया गया है, इकाई (जीजेईपीसी) सेवाओं, एसएसी, मूल्य और लागू जीएसटी विवरणों के विवरण को शामिल करते हुए जीएसटी शासन के तहत निर्धारित चालान जारी करेगी। सेवाओं के बदले जारी किए गए चालान का भुगतान डीटीए ग्राहकों द्वारा एसईजेड अधिनियम 2005 की धारा 2 (जेड) के तहत परिभाषित विदेशी मुद्रा में किया जाएगा।

As the services authorized are defined as taxable services under GST regime, the unit (GJEPC) shall issue invoices prescribed under the GST regime incorporating description of services, SAC, value and the applicable GST particulars. The payment against the raised invoices in lieu of sérvices shall be paid by the DTA customers in foreign currency as defined under section 2(z) of the SEZ Act 2005.

- B) सीप्ज-एसईज़ इकाइयों से माल की आवाजाही या जीजेईपीसी मेगा सीएफसी में अंतर-क्षेत्रीय स्थानांतरण/MOVEMENT OF GOODS FROM SEEPZ-SEZ UNITS OR INTER-ZONAL TRANSFER TO GJEPCMEGA CFC:
  - i) सीप्ज-सेज़ में एक इकाई से जीजेईपीसी (मेगा सीएफसी) तक माल की आवाजाही को विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम 2006 के नियम 40 के अनुसार इंटर-यूनिट ट्रांसफर (IUT) माना जाएगा। माल की ऐसी आवाजाही का रिकॉर्ड एनएसडीएल प्रणाली पर अनुरोध आईडी उत्पन्न करके माल के अंतर-यूनिट ट्रांसफर (आईयूटी) के लिए लागू स्थापित नियमों और विनियमों के अनुसार इकाई द्वारा अधिकृत संचालन बनाए रखा जाएगा।

The movement of goods from a Unit in SEEPZ-SEZ to GJEPC (Mega CFC) shall be treated as Inter-Unit Transfer (IUT) in terms of Rule 40 of the Special Economic Zone Rules, 2006. The record of such movement of goods for authorized operations shall be maintained by the unit as per the established rules and regulations applicable for Inter-Unit Transfer (IUT) of goods by way of generating request IDs on NSDL system.

ii) सीप्ज़-एसईज़ेड इकाइयों से आने वाले सामान और व्यक्तियों की आवाजाही के लिए आंतरिक गेट नंबर 1 के माध्यम से विशेष प्रवेश-निकास होगा।

There shall be exclusive entry-exit for movement of the goods and persons coming from SEEPZ-SEZ Units through Internal Gate No.1.

iii) माल की एक जोन से दूसरे जोन में आवाजाही के मामले में मौजूदा प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।
In case of the Zone to Zone movements of goods, the existing procedure shall be followed.

#### c) प्रदर्शनियाँ/क्रेता-विक्रेता सम्मेलन EXHIBITIONS/ BUYERS SELLERS MEET:

i. जीजेईपीसी मेगा सीएफसी, SEEPZ-SEZ की एक इकाई, प्रदर्शनी की तारीख से कम से कम 07 दिन पहले प्रदर्शनी में भाग लेने वाले प्रदर्शकों का विवरण प्रदान करके विकास आयुक्त कार्यालय से सामान्य अनुमित मांगेगी। अनुमित के आधार पर, प्रदर्शक माल अग्रेषणकर्ताओं के माध्यम से प्रदर्शनियों के लिए सामान सीलबंद स्थितियों में भेजेंगे और ऐसे माल अग्रेषणकर्ताओं का विवरण भी पहले से सूचित किया जाएगा। डीटीए आधारित प्रदर्शकों के मामले में, सभी सामान को जीजेईपीसी मेगा सीएफसी में डिलीवरी चालान के साथ अनुमित दी जाएगी जिसमें सामान का विवरण, पैकिंग सूची, प्रदर्शकों द्वारा विधिवत प्रमाणित सामान की रंगीन तस्वीरें शामिल होंगी।

The GJEPC Mega CFC, a unit of SEEPZ-SEZ, shall seek general permission from the Development Commissioner's Office by providing details of exhibitors participating in the exhibition at least 07 days in advance from the date of exhibition. On the basis of the permission, the exhibitors will send goods for exhibitions through freight forwarders in sealed conditions and the details of such freight forwarders shall also be intimated in advance. In case of DTA based exhibitors, all goods shall be allowed in GJEPC Mega CFC with delivery challans incorporating details of goods, packing lists, colour photographs of the goods duly authenticated by the exhibitors.

ii. अधिकृत सेवाओं के लिए लाए गए सामान के प्रवेश की अनुमति एनएसडीएल प्रणाली में अनुरोध आईडी उत्पन्न करके दी जाएगी। प्रदर्शनियों के पूरा होने के बाद सभी सामान डीटीए प्रदर्शकों को वापस लौटा दिए जाने पर अनुरोध आईडी बंद कर दी जाएंगी। सुविधा के तौर पर, एनएसडीएल मॉड्यूल चालू होने तक मैनुअल रिकॉर्ड बनाए रखा जाना चाहिए।

The entry of the goods brought in for authorized services shall be allowed by generating request ID in NSDL system. The Request ID s shall be closed once all goods are returned back to the DTA exhibitors after completion of the exhibitions. As facilitation, the manual records should be maintained till the NSDL module for the purpose is operational.

iii. सीप्ज़-एसईज़ेड की एक इकाई, जीजेईपीसी मेगा सीएफसी में लाए गए सामान की पहचान उसके प्रवेश और निकास पर स्थापित की जाएगी। उद्देश्य को पूरा करने के लिए, माल की जांच प्राधिकृत अधिकारी (मूल्यांकनकर्ता) द्वारा की जाएगी जो निरीक्षण/परीक्षा के पूरा होने पर डिलीवरी चालान पर अपना दिनांकित हस्ताक्षर करेगा। जांच के बाद सामान को उचित तरीके से जीजेईपीसी मेगा सीएफसी के प्रतिनिधि को सौंप दिया जाएगा।

Identity of the goods brought in GJEPC Mega CFC, a unit of SEEPZ-SEZ shall be established on its entry and exit. In order to fulfill the purpose, the goods shall be examined by the Authorised officer (Appraiser) who shall put his dated signature on Delivery challan on completion of the Inspection/ Examination. There shall be proper handing over of the goods to the representative of GJEPC Mega CFC after examination.

iv. आयातित वस्तुओं और ऐसी अन्य स्थितियों में शामिल राजस्व की सुरक्षा के लिए, सीप्ज़-सेज़ की एक इकाई, जीजेईपीसी मेगा सीएफसी पर प्रदर्शनी के लिए लाए गए सामानों के खिलाफ छोड़े गए लागू शुल्क के बराबर बांड निष्पादित करना अनिवार्य होगा। बांड राशि का डेबिट और क्रेडिट कंसाइनमेंट के आधार पर किया जाएगा। किसी विशेष प्रदर्शनी के पूरा होने पर बांड राशि की पूरी राशि जमा की जाएगी।

In order to safeguard the revenue involved in imported goods and in such other situations, it would be obligatory on the GJEPC Mega CFC, a unit of SEEPZ-SEZ, to execute a bond equivalent to applicable duty foregone against the goods brought in for exhibition. The debit and credit of the bond amount shall be done on consignment basis. The entire amount shall be credited on completion of a particular exhibition.

v. प्रदर्शनी में भाग लेने वाले आगंतुकों के मामले में, प्रवेश पास मौजूदा प्रक्रियाओं का पालन करते हुए जीजेईपीसी मेगा सीएफसी द्वारा जारी किए जाएंगे। ऐसे सभी आगंतुकों की सूची डीसी कार्यालय और विनिर्दिष्ट अधिकारी के साथ भी साझा की जाएगी।

In case of the visitors participating in the exhibition, the entry passes shall be issued by the GJEPC Mega CFC following the existing procedures. The list of all such visitors shall also be shared with DC office and with the Specified Officer.

vi. प्रदर्शनी के लिए लाए गए सामान की एंट्री करने के लिए गेट नंबर 4 पर एक प्राधिकृत अधिकारी (निवारक अधिकारी) को तैनात किया जाएगा और उसका रिकॉर्ड एक रजिस्टर में रखा जाएगा। प्रदर्शनी के लिए लाई गई खेप का प्रवेश खुला रखा जाएगा और डिलीवरी चालान पर जांच अधिकारी के समर्थन की पृष्टि करने के बाद जीजेईपीसी मेगा सीएफसी से बाहर निकलने पर बंद कर दिया जाएगा। प्रदर्शनी और सेवाओं के लिए लाए गए सामान की प्रविष्टि के लिए एक अलग रजिस्टर होगा।

An Authorised officer (Preventive Officer) shall be deputed at Gate No. 4 for making entry of the goods brought in for exhibition and the records of the same shall be maintained in a register. The entry of the consignment brought in for exhibition shall be kept open and shall be closed on exit from the GJEPC Mega CFC after verifying the endorsement of the examining officer on the delivery challan. There shall be a separate register for entry of the goods brought in for exhibition and for services.

vii. पूरी प्रदर्शनी सीसीटीवी निगरानी के तहत आयोजित की जाएगी और इसकी पहुंच डीसी कार्यालय और विनिर्दिष्ट अधिकारी को प्रदान की जाएगी। वस्तुओं की प्रदर्शनी के दौरान कोई बिक्री नहीं होगी। प्रदर्शनियों के पूरा होने पर, प्रदर्शकों को प्रवेश पास जमा करने के बाद बाहर निकलने की अनुमित दी जाएगी और सभी कीमती सामानों को डिलीवरी चालान और तस्वीरों में उल्लिखित विवरणों के मिलान के बाद ही माल अग्रेषणकर्ताओं के माध्यम से डीटीए प्रदर्शकों को वापस भेजा जाएगा, जिसके विरुद्ध सामान जीजेईपीसी में लाया

गया था। प्रदर्शनी के लिए मेगा सी.एफ.सी. सामान्य अनुमित की वैधता तदनुसार प्रदर्शनी के पूरा होने पर समाप्त हो जाएगी।

The entire exhibition shall be conducted under the CCTV surveillance and the access of the same shall be provided to DC office and the Specified Officer. There shall not be any sale during exhibition of goods. On completion of the exhibitions, the exhibitors shall be allowed to exit after submitting entry passes and all precious goods shall be sent back to the DTA exhibitors through freight forwarders only after matching details mentioned in delivery challans and photographs against which the goods were brought in GJEPC Mega CFC for exhibition. The validity of the general permission shall accordingly expire on completion of the exhibition.

यह विकास आयुक्त, सीप्ज़-एसईज़ेड, मुंबई के अनुमोदन से जारी किया गया है।

This issues with the approval of the Development Commissioner, SEEPZ-SEZ, Mumbai.

(अनिज्ञ विधरी)' विनिर्दिष्ट अधिकारी सीप्ज़-एसईज़ेड, मुंबई

### सेवा में,

मैसर्स रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी), सीप्ज-एसईज़, सर्विस सेंटर बिल्डिंग, एमआईडीसी सेंट्रल रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई – 400096 M/s Gems & Jewellery Export Promotion Council (GJEPC), SEEPZ-SEZ, Service Centre Building, MIDC Central Road, Andheri East, Mumbai – 400096.

#### प्रतिलिपि/Copy to,

- विकास आयुक्त, सीप्ज़, एसईजेड, मुंबई
   The Development Commissioner, SEEPZ, SEZ, Mumbai
- 2. संयुक्त विकास आयुक्त, सीप्ज़-एसईज़ेड, मुंबई The Joint Development Commissioner, SEEPZ-SEZ, Mumbai
- 3. सीप्ज़-सेज़, वेबसाइट/SEEPZ-SEZ, website
- 4. नोटिस बोर्ड/Notice Board
- 5. कार्यालय-प्रति/Office –copy